

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES  
GOVT. OF N.C.T. OF DELHI, OLD COURT BUILDING,  
PARLIAMENT STREET, NEW DELHI – 110001

F. No. 47/Policy/06/2020/


Dated: / /2020

NOTIFICATION

F. No. 47/Policy/06/2020: In exercise of powers conferred by section 127 of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) & Rule 163 of Delhi Co-operative Societies Rules 2007, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi keeping in view various guidelines and restrictions which remained/remains in force on account of Covid-19 situation: hereby order that the provisions relating to conduct of annual audit of a co-operative society as contained in section 60 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 and Rule 38 and Rule 80 of Delhi Co-operative Societies Rules, 2007 shall in respect of conduct of audit of a cooperative society for the financial year 2020-21, shall apply with following modification:-

"That the entire process of conduct of annual audit of the cooperative societies i.e making up of accounts, conduct of audit by the empanelled CAs and submission of a copy of audit report to Office of RCS is to be completed by the societies by 15<sup>th</sup> January, 2022 irrespective of the timelines prescribed for various intervening steps/compliances "

By order and in the name of  
The Lieutenant Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,



(DR. T. PHILIP THANGLIENMANG)  
SPL. SECRETARY

F. No. 47/Policy/06/2020/ 196

Dated: 09/12/2021

Copy forwarded for information to:-

1. The Pr. Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi.
2. The Dy. Secretary(Coordination), GAD, Govt. of NCT of Delhi
3. Officer Concerned.
4. PAO-XIII, Govt. of NCT of Delhi, Shankar Road, New Delhi.
5. P.A to RCS/Spl. RCS/DRCS/ARCS, O/o RCS, New Delhi.
6. All Branch/Section In-charges.
7. All Cooperative Group Housing/HB Societies, Delhi.
8. All Cooperative Banking/T&C Societies, Delhi.
9. I/C Computer Cell- to upload on the website
10. Guard File



(DR. T. PHILIP THANGLIENMANG)  
SPL. SECRETARY

266  
13/12/21

## (दिल्ली राजपत्र (भाग IV) असाधारण में प्रकाशनार्थ)

रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का कार्यालय  
सरकार एन.सी.टी. दिल्ली का, पुराना न्यायालय भवन,  
संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

फा. सं. 47/नीति/06/2020/

दिनांक: \_\_/\_\_/2020

### अधिसूचना

एफ. संख्या 47/नीति/06/2020: दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 127 और दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007 के नियम 163 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल विभिन्न दिशा-निर्देशों और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए जो कोविड -19 स्थिति के कारण लागू रहे / बने रहे: इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि एक सहकारी समिति के वार्षिक लेखा परीक्षा के संचालन से संबंधित प्रावधान जैसा कि अनुभाग में निहित है दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के 60 और दिल्ली सहकारी समिति नियम, 2007 के नियम 38 और नियम 80 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एक सहकारी समिति के लेखा परीक्षा के संबंध में, निम्नलिखित संशोधन के साथ लागू होंगे: -

"कि सहकारी समितियों के वार्षिक लेखा परीक्षा के संचालन की पूरी प्रक्रिया अर्थात् खातों का निर्माण, पैन्ल में शामिल चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा का संचालन और आरसीएस के कार्यालय को लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करना समितियों द्वारा 15 जनवरी 2022 तक पूरा किया जाना है, विभिन्न हस्तक्षेप करने वाले कदमों/अनुपालनों के लिए निर्धारित समयसीमा के बावजूद।"

उपराज्यपाल के नाम और आदेश से

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(डॉ. टी. फिलिप थंग लीनमंग)

विशेष सचिव

दिनांक: 09/12/2020

फा. सं. 47/नीति/06/2020/196

प्रतिलिपि सूचनार्थ अर्पित:-

1. प्रधान सचिव (कानून), दिल्ली सरकार।
2. उप. सचिव (सम्बन्ध), जीएडी, सरकार। दिल्ली सरकार
3. संबंधित अधिकारी।
4. पीएओ-X/III, सरकार। एनसीटी ऑफ दिल्ली, शंकर रोड, नई दिल्ली।
5. पीए से आरसीएस/स्पेल। आरसीएस/डीआरसीएस/आरसीएस, कार्यालय आरसीएस, नई दिल्ली।
6. सभी शाखा/अनुभाग प्रभारी।
7. सभी सहकारी समूह आवस/एचबी सोसायटी, दिल्ली।
8. सभी सहकारी बैंकिंग/टी एंड सी सोसायटी, दिल्ली।
9. आई/सी कंप्यूटर सेल- वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
10. गार्ड फाइल

(डॉ. टी. फिलिप थंगलीनमंग)

विशेष सचिव